निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 चैत्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 227) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2020

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
17 अप्रील 2020

सं० सं0का0–1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05–06/2017–*263*—कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, राज्य के माननीय मंत्रियों एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उक्त राशि को "कोरोना उन्मूलन कोष" में देने के आलोक में बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0–16, 2006) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ। – (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2020 कही जा सकेगी।

(2) यह दिनांक 01 अप्रील, 2020 से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 में नियम 3(ख)(ii) के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जायेगा अर्थात् :–

"3(ख)(iii). नियम 3(ख) के तहत् बिहार विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक 34,000/– (चौंतीस हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से वेतन एवं अनुमान्य भत्ते पाने के हकदार होंगे।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 227-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in